रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2013/भाद्र 11, 1935
No. 227] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2013/BHADRA 11, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2013

फा. सं. 7/15015/30/2012.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है धारा 92 की उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियम पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, उन्हें मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और मादक द्रव्य प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप विनियम की बाबत यदि किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त होते हैं, उन पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संशोधन) विनियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के परिशिष्ट अ में,—

(क) सारणी सं. 2 में क्रम संख्यांक ए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"ए	ग्लेजिंग एजेन्ट्स										
1	शैलैक	-	-	-	-	-	-	-	जीएमपी	-	-
2	बीसवैक्स (सफेद और पीला)	-	-	-	-	-	-	-	जीएमपी	-	-
3	कैन्डेलिल्ला वैक्स	-	-	-	-	-	-	-	जीएमपी	-	-
4	गम एरेबिक	-	-	-	-	-	-	-	जीएमपी	-	-
5	पेक्टिन	-	-	-	-	-	-	-	जीएमपी	-	-";

(ख) सारणी 8 में क्रम संख्यांक ई के उप क्रम संख्यांक (क) कैरेमिल से संबंधित मद 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"2	कैरेमिल	-	जीएमपी	-	जीएमपी	अधिकतम 100पीपीएम	-	जीएमपी	-	-	-	अधिकतम 200पीपीएम";

(ग) सारणी सं. 13 के क्रम संख्यांक औ में उप क्रम संख्यांक 6 के अधीन "सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड" शब्दों के पश्चात् "स्टीरिक एसिड (खाद्य श्रेणी)" शब्द रखे जाएंगे ।

दिल्लीप कुमार सामन्तराय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन III /4/असाधारण/187-ओ/13]

पाद टिप्पण.—मूल विनियम अधिसूचना संख्यांक फा.सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे ।